



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-563/JH/23/2022-ESDW

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त, रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक-बी,
कमरा नंबर-504,
रांची-834001, झारखण्ड
ई-मेल: dc-ran@nic.in
फोन नं. 0651-2214001

विषय: : लोहरा अनुसूचित जनजाति की खतियानी लोहार जमीन को अवैध तरीके से खरीदगी का दस्तावेज़ जांच कर रद्द करते हुए अवैध घोषित करने के संबंध में श्री रवि लोहरा, पिता कार्तिक लोहरा, ग्राम - बरगावा, पोस्ट-नामकुम, थाना-नामकुम, जिला- रांची, झारखंड-834010 से प्राप्त दिनांक 05.04.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 29.08.2022.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 26.07.2024 को पूर्वाह्न 11:40 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।